कार्यालय– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

फोन व फैक्स – 05946 220186, ई–मेल dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक सं0 1365/12–1, हल्द्वानी दिनांक 1/~~सितम्बर~~ 10, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय : कृषि उत्पादन मण्डी के वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव में लगाये गये ई0डी0एस0 के सम्बन्ध में।

संदर्भ : जनपद नैनीताल में कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु चयनित 10.0035 है0 वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्र संख्या : 8 बी/यू.सी.पी./09/05/2015/एफ.सी./259 दिनांक : 13.05.2015 द्वारा लगायी आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी द्वारा बिन्दुवार तैयार की गई आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 30.09.2015 को आप द्वारा लगाये गये ई0डी0एस0 के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्न सहित आपकी सेवा में निम्नप्रकार प्रेषित है।

बिन्दु सं0–1 समिति द्वारा आवेदित भूमि में मण्डी के निर्माण कार्य का मदवार विवरण आपत्ति संख्या 02 के निस्तारण हेतु तैंयार की गयी सूचना में दिया गया है। चूंकि प्रस्तावित वन क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 10.0035 है, में कुल 19350 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः परियोजना हेतु **E.C.** की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक 01)

बिन्दु सं0–2 आपत्ति के निस्तारण हेतु परियोजना के ले–आउट प्लान से सम्बन्धित कार्यो का मदवार विवरण एवं आपत्ति के निस्तारण के पश्चात संशोधित अन्य प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक 02)

बिन्दु सं0–3 परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य संलग्न है। (संलग्नक 03)

बिन्दु सं0–4 आपत्ति के निस्तारण हेतु लागत–लाभ विश्लेषण प्रपत्र – 22.2 एवं प्रपत्र – 22 संलग्न है। (संलग्नक–04)

बिन्दु सं0–5 व 6 आपत्ति संख्या 05 के निस्तारण हेतु हरियाली/वन क्षेत्र का घनत्व तथा आपत्ति संख्या 06 के निस्तारण हेतु संशोधित एन0पी0वी0 के आंकलन से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र – 42 संलग्न है। (संलग्नक–05)

बिन्दु सं0–7 आपत्ति संख्या 07 के निस्तारण हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पत्र संलग्न है। (संलग्नक–07)

बिन्दु सं0–8 आपत्ति संख्या 08 के निस्तारण हेतु संशोधित प्रपत्र–2.1 संलग्न है।(संलग्नक–08)

बिन्दु सं0–9 आपत्ति संख्या 09 के निस्तारण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संलग्न है। (संलग्नक–09)

बिन्दु सं0–10 आपत्ति संख्या 10 के निस्तारण हेतु परीक्षणोपरान्त पुनः भूमि का चयन कर सम्बन्धित अभिलेख टोपोशीट मैप, डिजिटल मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन एवं वन भूमि की उपयुक्तता एवं हरियाली के घनत्व से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–10)

बिन्दु सं0–11	आपत्ति संख्या 11 के निस्तारण हेतु प्रस्तावित वन भूमि 10.0035 है0 के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर लगाये जाने वाले वृक्षो के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, कार्यालय प्रभुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्गत पत्र संख्या 89/3–5–2 दिनांक देहरादून– 6 जून 2013 एवं आपत्ति के निस्तारण के फलस्वरूप संशोधित प्रपत्र– 37 (रिक्त पड़े स्थानों उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन) संलग्न है। (संलग्नक–11)
बिन्दु सं0–12	आपत्ति संख्या 12 के निस्तारण हेतु निजी या अन्य भूमि का चयन न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संलग्न है। (संलग्नक–12)
बिन्दु सं0–13	आपत्ति संख्या 13 के निस्तारण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिये ही लीज पर ली जानी प्रस्तावित है। जानकारी के अभाव में उक्त सूचना का समावेश प्रत्येक प्रपत्र में नहीं किया जा सका। पुनः परियोजना के **मुख पृष्ठ एवं प्रपत्र–2 के भाग–1** पर 30 वर्ष की लीज अवधि का उल्लेख कर दिया गया है। पूर्व में परियोजना के साथ संलग्न प्रपत्र–45 (लीज अवधि का प्रमाण– पत्र) में 30 वर्ष की लीज अवधि का उल्लेख किया गया है। (संलग्नक–13)
बिन्दु सं0–14	आपत्ति संख्या 14 के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड भासन के पत्र संख्या **562/XIII-II/46(01)/2013** दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा 10.0035 हैक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रदत्त संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। (संलग्नक–14)
बिन्दु सं0–15	आपत्ति संख्या 15 के निस्तारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी एवं जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण – पत्र प्रपत्र– 30.1 संलग्न है। (संलग्नक–15)
संलग्नः–	उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सनातन)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी